कार्यालय नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़ (म.प्र.)

क्रं. / 1797 / न0पा0 / दीरयो / 2017 टीकमगढ़, दिनांकः 15 / 03 / 2017

:: आमंत्रण–सूचना ::

नगर पालिका परिषद, टीकमगढ के अंतर्गत "दीनदयाल रसोई योजना" के संचालन हेतु इच्छुक संस्थाओं के लिए आमंत्रण की सूचना।

नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़ के द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को सस्ती दरों पर पौष्टिक, सस्ता एवं स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगरीय निकाय क्षेत्र में "दीनदयाल रसोई योजना" आरंभ की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत रू. 5/– (रूपये पांच) प्रति व्यक्ति की दर से भोजन उपलब्ध कराया जायेगा। इस हेतु शहरी क्षेत्र में केन्द्र की स्थापना की जाना प्रस्तावित है। इस केन्द्र के संचालन हेतु इच्छुक गैर शासकीय, धार्मिक, स्वयंसेवी संस्था अथवा व्यक्तियों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। निविदा नियम एवं शर्तें बेवसाइट www.tikamgarh.nic.in; www.mpurban.gov.in से डाउनलोड कर सकते है।

पूर्ण मोहरबंद निविदाएँ रजिस्टार्ड डाक से दिनांक २८ मार्च 2017 को सांय 5:00 बजे तक मुख्य नगर पालिका अधिकारी, कार्यालय नगर पालिका परिषद, कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने, झांसी रोड़, टीकमगढ़ (म.प्र.) में प्राप्त होना आवश्यक है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति टीकमगढ तथा नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ को निविदायें बिना कारण निरस्त करने का अधिकार होगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, टीकमगढ

नगर पालिका परिषद टीकमगढ अंतर्गत "दीनदयाल रसोई योजना" के संचालन हेतु इच्छुक संस्थाओं के लिए नियम एवं शर्ते।

- निविदा नियम एवं शर्तें बेवसाइट www.tikamgarh.nic.in; www.mpurban.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं।
- निविदा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, टीकमगढ़ के नाम से प्रस्तुत की जायेंगी।
- इच्छुक फर्म/संस्था/व्यक्ति का आयकर एवं पंजीयन प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
- निविदाकर्ता फर्म/संस्था/व्यक्ति कहीं भी/कभी भी काली सूची (ब्लैक लिस्टेड) में शामिल नहीं होना चाहिए।
- निविदाकर्ता फर्म/संस्था/व्यक्ति को संबंधित कार्य में कम से कम 02 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
- निविदाकर्ता फर्म/संस्था/व्यक्ति द्वारा प्रस्ताव के समस्त पृष्ठों की नंबरिंग उपरांत स्व-प्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा।
- पूर्व से निःशुल्क अथवा रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने का कार्य करने वाली संस्था/व्यक्ति को प्राथमिकता दी जावेगी।
- चयनित संस्था से विहित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित किया जावेगा।
- स्थल, भवन, जल एवं विद्युत संयोजन एवं केन्द्र की स्थापना-नगरीय निकाय द्वारा की जावेगी।
- केन्द्र में उपयोग में आने वाले खाद्यान्न जैसे गेहूँ, चावल, नमक तथा शक्कर उचित मूल्य की दुकान से खाद्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।
- स्थापित केन्द्र में प्रतिदिन दोपहर के भोजन की व्यवस्था पांच रूपये प्रति थाली की दर से प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक की जावेगी।
- संस्था द्वारा निर्धारित दर पर पौष्टिक भोजन का मैन्यू प्रस्ताव के साथ देना होगा।
- भोजन का मैन्यू जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति टीकमगढ द्वारा निर्धारित किया जावेगा।
- निविदा को जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति टीकमगढ़ द्वारा बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा। किसी भी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र टीकमगढ़ होगा।
- जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति टीकमगढ़ का किसी भी मामले में लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, टीकमगढ

"दीनदयाल रसोई योजना"

:: संचालनकर्ता संस्था/व्यक्ति की भूमिका एवं दायित्व ::

जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति से चयनित संस्था/व्यक्ति केन्द्र के सुचारू संचालन हेतु उत्तरदायी होंगे। संस्था/व्यक्ति जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति तथा नगरीय निकाय के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में कार्य करेगी। चयनित संस्था के प्रमुख दायित्व निम्नानुसार होंगे।

1. संस्था/व्यक्ति द्वारा भोजन से संबंधित रसद को प्राप्त करने अथवा क्रय करने की कार्यवाही की जावेगी।
2. केन्द्र के लिये स्थानीय मुख्यालय के राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोला जायेगा।
3. संस्था/व्यक्ति द्वारा भोजन बनाने एवं वितरण करने तथा केन्द्र को साफ–सुथरा एवं स्वच्छ रखने हेतु संबंधित आवश्यक मानव संसाधनों की व्यवस्था करनी होगी।
4. संस्था/व्यक्ति जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की सलाह से तैयार साप्ताहिक मैन्यू के अनुसार पौष्टिक एवं गुणवतापूर्ण भोजन तैयार करायेगी एवं वितरित करेगी।
5. केन्द्र पर प्रतिदिन भोजन करने वाले व्यक्तियों का अभिलेखन एवं प्रतिव्यक्ति निर्धारित शुल्क रूपये पांच का संग्रहण भी संस्था/व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।
6. रसद एवं अन्य सामग्री तथा केन्द्र पर हो रहे आय–व्यय का सम्पूर्ण ब्यौरा संस्था/व्यक्ति द्वारा विहित प्रारूपों में रखा जायेगा तथा तैयार लेखा एवं अन्य जानकारियॉ मासिक रूप से नगरीय निकाय में प्रस्तुत की जावेगी।
7. संस्था/व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकान से गेहूँ, चावल, नमक एवं शक्कर उपलब्ध कराई जायेगी।
8. केन्द्र पर ईंधन, विद्युत, एवं जल बिल पर होने वाले आवर्ती व्यय की प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराने का प्रयास जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति टीकमगढ़ द्वारा किया जावेगा।
9. भोजन उपलब्ध कराने हेतु लगने वाली समस्त लागत एवं वास्तविक मूल्य में अगर कोई अंतर आ रहा है तो संस्था/व्यक्ति इस हेतु दान प्राप्त कर सकेंगे।
10. संस्था/व्यक्ति को दान दाताओं से प्राप्त दान का विधिवत लेखा जोखा संधारण किया जावेगा। जिसकी समुचित रसीद संबंधित को दी जायेगी अगर संस्था/व्यक्ति को प्राप्त होने वाले दान में आयकर अधिनियम के अंतर्गत 80 सीजी की छूट प्राप्त है तो अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए उक्त का उल्लेख रसीद में किया जावेगा।
11. संस्था/व्यक्ति का यह दायित्व होगा कि, कोई भी व्यक्ति जो केन्द्र पर नियत समय सीमा में भोजन के लिए आ रहा है तो वह बिना भोजन किये वापिस नहीं जाए।
12. केन्द्र का साप्ताहिक मैन्यू जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति टीकमगढ द्वारा निर्धारित अनुसार होगा। भोजन का मैन्यू, मूल्य एवं भोजन का समय केन्द्र के सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जायेगा।
13. प्रत्येक केन्द्र पर प्राथमिक उपचार/अग्निसुरक्षा उपकरण आदि रखे जायेंगे।
14. शासन एवं जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति टीकमगढ द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।
15. संस्था/व्यक्ति को टीकमगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, टीकमगढ

:: निविदा प्रपत्र ::

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,

नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़

जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

विषयः– नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़ अंतर्गत "दीनदयाल रसोई योजना" के संचालन हेतु आवेदन पत्र/प्रस्ताव के संबंध में।

महोद्य,

उपरोक्त विषयक निविदा प्रपत्र से संबंधित सूचनायें क्रमवार निम्नानुसार अंकित हैः–

1. निविदादाता/फर्म/संस्था का पूरा नाम एवं ऑफिस का पूर्ण पता :–

   ____

   ____

   ____

2. निविदादाता/फर्म/संस्था का टेलीफोन नं./मो. नं./फैक्स/ई–मेल आई.डी.:–

   ____

   ____

3. निविदादाता/फर्म/संस्था के प्रोपराईटर/पार्टनर/डायरेक्टर का नाम जो फर्म की तरफ से हस्ताक्षर हेतु अधिकृत हो (अधिकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न करें)

   ____

   ____

4. आयकर संबंधी पेन नं. (पंजीयन की स्व–प्रमाणित छायाप्रति) संलग्न करें।

   ____

5. पंजीयन/टिन नंबर (पंजीयन की स्व–प्रमाणित छायाप्रति) संलग्न करें।

   ____

6. पिछले तीन वर्षों का वार्षिक टर्न ओव्हर हेतु (Audited Financial Statement) प्रति संलग्न करें।
7. पिछले तीन वर्षों के प्रदत्त आयकर की स्थिति (आयकर रिटर्न की स्व–प्रमाणित छायाप्रति) संलग्न करें।

8. निविदादाता / फर्म / संस्था के कार्य विशेषज्ञ / कर्मचारियों की संख्या एवं विस्तृत जानकारी के साथ संलग्न करें।

9. निविदादाता / फर्म / संस्था को इस कार्य का अनुभव (वर्षों में)

---

10. निविदादाता / फर्म / संस्था द्वारा किये गये अनुभव कार्य का विवरण :-

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रायोजित करने वाली संस्था का नाम एवं पता

11. भोजन का प्रस्तावित साप्ताहिक मैन्यू का विवरण संलग्न करें।

:: घोषणा पत्र ::

मैं .... संस्था की ओर से अधिकृत हूँ। मैंने प्रकाशित निविदा सूचना के संदर्भ में निविदा प्रपत्र में उल्लेखित कार्य शर्तों का भली भांति पढ़ कर समझ लिया है तथा उक्त निविदा प्रपत्र में दर्शाई गई समस्त शर्तों को स्वीकार करती / करता हूँ। उक्त हेतु आवेदन पत्र / प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र के साथ प्रेषित कर रहा / रही हूँ।

हस्ताक्षर

निविदाकार / अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नामः– ....

पताः– ....

मुहर सहित ....

दिनांक ....